



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

सिडबी टावर 15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 (उ.प्र.)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत आस्तियों के विक्रय की सार्वजनिक सूचना

जबकि सिडबी के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारे शाखा के निम्नलिखित ऋण खाते के संदर्भ में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित सम्पत्ति (यों) का सांकेतिक कब्जा लिया है और बैंक की ब्याज सहित देयताओं जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की चुकोती में उधारकर्ता/बंधककर्ता द्वारा असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उक्त सम्पत्ति (यों) की 'जैसा है जहां है और जैसा है जो कुछ है' के आधार पर बिक्री कर बैंक की देयताओं की वसूली का प्रस्ताव करता है, बिक्री उक्त अधिनियम की धारा 13(4) जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6, 8, 9 व अन्य लागू नियमों के साथ पढ़ा जाए के अधीन होगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाइट <https://sidbi.auctiontiger.net> पर ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	उधारकर्ता/कर्ताओं और गारण्टीकर्ता/कर्ताओं का नाम	बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति लॉट नं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण	जमा बयाना राशि (₹ लाख में)	आरक्षित मूल्य (₹ लाख में)	मांग सूचना तिथि और देय राशि	सिडबी बैंक खाते का विवरण
1.	मेसर्स हायड्रिक फार्म इनपुट्स लि./रोहतास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि./आरसी क्लब प्रा.लि./ श्री पंकज रस्तोगी/ श्री दीपक रस्तोगी/ श्री परेश रस्तोगी/ श्रीमती रानी रस्तोगी/श्रीमती सुधा रस्तोगी/श्रीमती मधु रस्तोगी/श्री करन रस्तोगी/ श्रीमती मीता रस्तोगी/ श्रीमती सोनानी रस्तोगी/ श्री अमरनाथ राय	रोहतास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	01	सभी सम्पत्ति एवं उसके भाग प्लैट सं. 4.01 जिसकी पैमाइश 266.22 वर्ग मी. (सुपर एरिया) चौथा तल, के साथ-साथ बेसमेंट की जगह जिसकी पैमाइश 44.37 वर्ग मी. (सुपर एरिया) एवं रोहतास पशुपति अपार्टमेंट फेज-III के नाम से प्रसिद्ध भवन जो म्यूसिपल नं. 27/18, पर निर्मित है, में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 157.93 वर्ग मी. है, में अविभाजित अनुपातिक भाग के रूप में है जो 1-राजाराम मोहन राय मार्ग, लखनऊ में स्थित है तथा रोहतास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. इसके स्वामी हैं। चौहद्दी: उत्तर : खुला आकाश/प्रवेश द्वार, दक्षिण: खुला आकाश, पूर्व: खुला आकाश, पश्चिम: खुला आकाश।	23.32	233.22	दिनांक 07/12/2017 ₹ 869.61 लाख भावी ब्याज और अन्य देयताओं को जोड़ें	हिताधिकारी का नाम - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ शाखा कार्यालय हिताधिकारी खाता सं 015102000025911 आईएफएससी कोड: IBKL000015 जहां '0' शून्य है हिताधिकारी बैंक का नाम एवं शाखा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एम.जी. रोड, हजरतगंज शाखा, लखनऊ

निरीक्षण की तिथि	बयाना राशि जमा/दस्तावेज (केवाईसी सहित) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और सम्पर्क संबंधी ब्यौरे
12/06/2018 12.000 बजे से 2.00 बजे अपरान्ह तक	14/06/2018 को सायं 4.00 बजे तक कार्यालय का पता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001	19/06/2018 को अपरान्ह 3.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक वेबपोर्टल का नाम https://sidbi.auctiontiger.net	श्रीमती सुमिता चौधरी, उप महाप्रबंधक, फोन : 0522-4259794

नियम एवं शर्तें :

- सम्पत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है और जैसा है जो कुछ है' के आधार पर है तथा बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले सम्पत्ति का निरीक्षण कर इसके क्षेत्र, स्थिति एवं ब्यौरे के सम्बन्ध में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। भावी क्रेता को सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने हेतु स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी की पूरी जानकारी व संज्ञान में संपत्ति पर सिडबी को छोड़कर अन्य किसी का कोई ऋण भार नहीं है (वेबसाइट पर डाले गए विस्तृत शर्तों व निबंधन का संदर्भ लें), तथापि इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति के संदर्भ में स्वत्व/दावे/देयताओं जोकि सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, के बारे में स्वतंत्र रूप से बोली देने के पूर्व आश्वस्त हो लें।
- नीलामी के समापन पर सफल बोलीकर्ता द्वारा ईएमडी का समायोजन करने के बाद बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत उसी दिन अथवा बोलीकर्ता के पक्ष में बोली के सम्पुष्टि के अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा। मूल्य की शेष राशि को ई-नीलामी के 15 दिनों के भीतर अथवा क्रेता एवं प्रतिभूति लेनदार के बीच लिखित सहमति से विस्तारित अवधि के भीतर देय होगा।
- सफल बोलीकर्ता/क्रेता, समस्त वैधानिक देयताओं, रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि वहन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक सम्पत्ति के सन्दर्भ में किसी भी सरकारी देयताओं/संवैधानिक देयताओं हेतु उत्तरादायी नहीं होगा।

बोली कैसे लगायें :

- इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा सिडबी को ईएमडी का भुगतान एनईएफटी/आरजीटीएस द्वारा अथवा सिडबी के पक्ष में आहरित बैंकर्स चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त सिडबी कार्यालय में किया जायेगा। इच्छुक बोलीकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे (1) ईएमडी जमा करने का प्रमाण, एनईएफटी/आरजीटीएस का यूटीआर नं (2) पैन कार्ड/फार्म 60 (3) नवीनतम पते का प्रमाण और इसके साथ ही उक्त दस्तावेजों की स्कैनड प्रतियां तैयार रखें जिन्हें <https://sidbi.auctiontiger.net> पर लागू इन आईडी और पासवर्ड (जिसकी बोली हेतु आवश्यकता पड़ेगी) प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के समय अपलोड करना होगा।
- केवल वे बोलीकर्ता जिनके पास वेध यूजर आईडी तथा पासवर्ड है और जिन्होंने एनईएफटी/आरजीटीएस द्वारा ईएमडी जमा करने की संपुष्टि कर दी है, वे ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
- इच्छुक बोलीकर्ता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दिया है और जो लॉग-इन आईडी और पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली लगाने, ई-बोली प्रक्रिया आदि में प्रशिक्षण चाहते हैं, वे मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ए/801, वालस्ट्रीट-2, ओरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, सपोर्ट नं. 079-40005440/422/437/418/417, हेलपलाइन ईमेलआईडी support@auctiontiger.net या संपर्क व्यक्ति श्री विजय शेट्टी, मोबाइल नं. 09619002431 व श्री तिलक मराठा मोबाइल नं. 0906779946 ई मेल आईडी : vijay.shetty@auctiontiger.net, tilak@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं। सम्पत्ति से सम्बन्धित जानकारी के लिए श्रीमती सुमिता चौधरी, उप महाप्रबंधक, फोन 0522-4259794, ई-मेल आईडी : sumichow@sidbi.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- बोलीकर्ता को सूचित किया जाता है कि विस्तृत निबंधन एवं शर्तें जो कि बैंक की वेबसाइट www.sidbi.in (tenders) तथा <https://sidbi.auctiontiger.net> में डाली गयी हैं, की जानकारी ले लें।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत आस्तियों के विक्रय की 15 दिनों की वैधानिक सूचना उधारकर्ता/गारंटर को अधिसूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पहले तक उपर्युक्त राशि व ब्याज और सहायक खर्च का भुगतान कर दें, ऐसा न करने की स्थिति में संपत्ति की नीलामी/विक्रय कर दिया जाएगा और शेष देयताओं को ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : जून 01, 2018
स्थान : लखनऊ

ह./-
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक